




## राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : डी.एस.डब्ल्यू/2020/12368

दिनांक :17-09-2020

### ई.निविदा सूचना

राजस्थान विश्वविद्यालय के लगभग 28 हजार नियमित विद्यार्थियों के सामूहिक दुर्घटना बीमा करने हेतु IRDAI स्वीकृत बीमा कम्पनियों से ऑनलाइन निविदा 23 सितम्बर, 2020 समय दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण website: [www.uniraj.ac.in](http://www.uniraj.ac.in), <https://sppp.rajasthan.gov.in> or <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। UBN: URA20215LOB00033

  
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

# UNIVERSITY OF RAJASTHAN

Jawahar Lal Nehru Marg,  
Jaipur-302004, Raj., India



## E-TENDER DOCUMENT

FOR

### STUDENTS' GROUP ACCIDENTAL INSURANCE COVERAGE SCHEME

Mode of Bid Submission	Online (E-Tender)
Procuring Entity	Registrar, University of Rajasthan, Jaipur 302004
Date & time of the On-line submission	17.09.2020, 12.00 noon.
Last Date & Time of On-line Submission of Technical and Financial Bids	23.09.2020, 12.00 noon.
Date & Time of Opening of On-Line Technical bid	23.09.2020, 2.00 pm.

- E-Tender Form Fee :- Rs. 500/- (Five hundred Only)  
(In favour of Registrar, University of  
Rajasthan, Jaipur (Demand Draft/ Banker's  
Cheque)
- E-Tender Processing Fee :- Rs. 500/- (Five hundred Only)  
(In favour of MD, RISL, Jaipur (Demand  
Draft/ BC/BG)

*Handwritten signature*

### E-Tender Processing Fee Detail

Bidder's Name:- .....

Address:- .....

.....

.....

.....

Phone/Mobile:- ..... Fax :- .....

E-Mail:- .....

(1) E - Tender form Fee:

Bank Demand Draft/Banker's Cheque Detail:

Number ..... Dated ..... Bank.....

Name: .....

for Rs. ....(Rs. 500/- (Five hundred Only in favour  
of Registrar, University of Rajasthan, Jaipur, payable at Jaipur.)

(Demand Draft/ Banker's Cheque)

(2) Processing Fee:

Bank Demand Draft/Banker's Cheque Detail:

Number: ..... Dated: ..... Bank Name:  
..... for Rs. ..../- Rs. 500/- (Five hundred Only In

favour of MD, RISL, Jaipur) (Demand Draft/Banker's Cheque)



## CHAPTER-1

## NOTICE INVITING E-BID

## SCHEDULE OF E-BID

Notice Inviting Bids No. and Date	No. DSW/2020/12368 Dated: 17-9-2020
Name of the work	Students' Group Accidental Insurance Coverage Scheme.
Cost of E-tender Form (Non-refundable)	500/- Only in favour of Registrar University of Rajasthan, Jaipur,
Cost Of E - Tender Processing	Rs. 500/- Only In favour of MD, RISL, Jaipur
Place of Information about the work and Bid documents	Dean, Students' Welfare & International Students' Advisor in University of Rajasthan, Jaipur. 0141-2710497
Last date & time for Online submission of Tender Document including Technical and Financial Bid and other Related Documents	23.09.2020 12:00 noon
Technical Bid Opening of Date, Time & Venue	23.09.2020, 2:00 pm. V.C. Secretariat, University of Rajasthan, Jaipur.
Websites of downloading Tender Document, Corrigendum's Addendums etc.	www.uniraj.ac.in, http://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in
Bid Validity	90 Days

**Note:-**

- (1) Bidders are advised to study the Tender Documents, the Rajasthan Transparency in public proc. Act, 2012, and Rules 2013 carefully. Submission of Bid shall be deemed to have been done after careful study and examination of the Bid Documents, Act & Rules with full understanding of its implication.
- (2) The procuring entity reserves the right to accept or reject any bid and to cancel the bidding Process and reject all bids without assigning and reason at any time prior to contract award without thereby incurring any liability to the bidders.
- (3) The University shall not be responsible for any delay in submission of the Bid/Documents.
- (4) The terms and conditions regarding services of Students through registered Companies Agencies are enclosed with the E-Tender Document.

  
**Dean, Students' Welfare**

## Letter of invitation and bidding process

University of Rajasthan is issuing this Request for Proposal ("RFP") and the accompanying documents of inviting "bids" comprising Technical proposal ("statement of Qualification") and Financial Bids from eligible insurance Companies ("Bidder") IRDAI approved insurance Companies as to select the insurer for Students' Group Accidental Insurance Coverage Scheme for academic year 2020-21.


### Two-stage selection procedure shall be adopted that will processed as follows:

निविदा Single stage two bid system के अन्तर्गत आमंत्रित की जा रही है। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी निविदा में निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने हैं, जिनके अभाव में कम्पनी की तकनीकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी –

1. Tender forms duly signed.
2. IRDAI पंजीकरण की प्रति
3. GST रजिस्ट्रेशन नम्बर
4. कम्पनी का Authorisation Certificate (निजी क्षेत्र की कम्पनी की स्थिति में)
5. ब्लैकलिस्ट नही किये जाने के संबंध में शपथ पत्र।
6. पैन कार्ड की प्रति ( कम्पनी के नाम में ) पैन कार्ड नम्बर
7. कार्यअनुभव के संबंध में कार्यदेशों की प्रतिया ( 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है)।
8. टेंडर फॉर्म फीस का डिमांड ड्राफ्ट।
9. टेंडर प्रोसेसिंग फीस का डिमांड ड्राफ्ट।
  - तकनीकी निविदा में वित्तीय निविदा से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज संलग्न न किया जावे अन्यथा कम्पनी की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
  - सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जावेगी तथा तकनीकी मुल्यांकन में योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
  - Financial Bid  
Financial Bid should only indicate price without any condition of qualification whatsoever or any other enclosure. Financial Bid should contain the bill of quantity -BoQ (Exactly in the excel format given on the eproc portal) and should be submitted online. The financial offers should be complete in all respects and it should not contradict with the Technical offer in any manner.
  - Processing Fees is described on page no. 3 in the schedule of E-bid documents.
  - Each Bidder (insurance company) shall submit only one bid according to schedule.

### Instructions to Bidder

1. Instruction to Bidders for online tendering (E-Tendering)



- (i) The bidders who are interested in bidding can download bid documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in)
- (ii) Bidders who wish to participate in this E-Bid will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in> (bidders registered on [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) before 23.09.2020 need to register again). To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type II or type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from and CCA approved certifying agency, i.e, TCS safecrypt, Ncode etc. or they may contact E-Procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital Certificate need not procure a new Digital Certificate.

Contact No. 0141-4022688 (Help Desk- 10 am to 6 pm on all working days.)

E-mail:- [eproc@rajasthan.gov.in](mailto:eproc@rajasthan.gov.in)

Address: E-procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan  
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.

- (iii) Bidder shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial bids. However D.D. for Tender form fees and Processing Fees should be submitted manually in the office of Tendering Authority (University of Rajasthan) before closing date & time of technical bids submission and scanned copy of D.D. Should also be uploaded along with the online bid.
- (iv) Before electronically submitting the bid, it should be ensured that all the bid paper including conditions of contract are digitally signed by the bidder.

## 2. Cost of Bidding

The Bidder shall bear all the cost incurred for preparing the proposal including expenses of travel and lodging that may be required including collection information from the department and other communication required with the department regardless of the outcome of the bidding process.

## 3. Number of copies of the bid

The Bidder is required to submit copy of the Technical Bid through [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) by uploading all required

and relevant documents through online process and deposit the envelope containing fees as describe above in point no. 4.

4. Authentication of Bid

The original and all copies of the Bid Document shall be laser print outs and shall be signed by the authorised persons duly authorized to bind the Bidder to the contract. In case of Government insurance companies need not to accompany authorization letter.

A duly stamped Power-of Attorney accompanying the bid Documents shall support the letter of authorization in case of private sector companies. The person or persons signing the Bid Document shall sign all pages of the Bid Documents. It should be submit by the bidder in online process.

5. Last date and time for receiving sealed offer

The sealed offer should reach by the speed post or by hand -To, The Registrar, University of rajasthan, Jaipur 302004, Rajasthan and mentioned in the "Important dates and Information." before the last date.

6. Amendment of BID DOCUMENTS

(i) Amendment of Bidding Document- Any amendment issued shall be part of the bidding document shall also be uploaded on the eproc.rajasthan.gov.in and state public procurement portal the procuring entity's web site for prospective bidders to download.


(ii) To give prospective Bidders reasonable time in which to take and amendment into account in preparing their Bids, the Procuring Entity may, at its discretion, extend the deadline for the submission of the Bids, under due intimation to the Bidders who have procured the Bidding Document from the Procuring Entity and also by uploading it on the eproc.rajasthan.gov.in and State Public Procurement Portal its official website.

7. Bidders should express the price of their services in Indian currency only.

8. Validity of Bids.

Bids shall remain valid for 90 days after the date of technical bid opening. A bid valid for a shorter period shall be rejected as non-responsive.

9. The Provision of RTPP Act 2012 and Rules 2013 thereto shall be applicable for this procurement. Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provisions of this bidding document with RTPP Act 2012 and Rules thereto, the later (RTPP rules) shall prevail.
10. The University of Rajasthan reserve all rights to reject the tender without assigning any reasons.
11. Successful Tender will be informed as early as possible of the acceptance of their tender.
12. The firm shall not assign or sublet the work or any part of it to any other person or party.
13. The tender is not transferable.
14. Company should have minium five years insurance work experience in education institutes related student's insurance.





## अध्याय-2

### कार्य विवरण

राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त संघटक महाविद्यालयों, शैक्षणिक विभागों/केन्द्रों के नियमित छात्र-छात्राओं, एम.फिल तथा शोध छात्रों के "सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना" में अभीष्ट कार्य का विवरण निम्न प्रकार होगा-

1. प्रति विद्यार्थी की दुर्घटना से मृत्यु होने पर रुपये 6,50,000/- अधिकतम (अनुमानित)
2. दुर्घटना के फलस्वरूप दोनों आंखों की दृष्टिहीनता या दोनों हाथों अथवा दो पूर्ण पैरों की हानि या एक पूर्ण हाथ और एक पूर्ण पैर की हानि या एक आंख की दृष्टिहीनता और एक पूर्ण हाथ अथवा एक पूर्ण पैर के उपयोग की हानि रुपये 6,50,000/- अधिकतम (अनुमानित)
3. एक आंख की दृष्टिहीनता या एक हाथ अथवा एक पैर की पूर्ण उपयोग की हानि रुपये 2,75,000/- (अनुमानित)
4. चोटों के कारण उपरोक्त के अलावा होने वाली स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रुपये 2,50,000/- अधिकतम (अनुमानित)।
5. नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अंगों की हानि के कारण स्थायी आंशिक अपंगता
 

1. पैरों की अंगुलियों की सम्पूर्ण हानि	रुपये 1,10,000/- अनुमानित
बड़ी दोनों अंगुली अस्थि	रुपये 27,500/- अनुमानित
बड़ी एक अंगुली अस्थि	रुपये 11,000/- अनुमानित
बड़ी के अलावा यदि एक से अधिक पैर की अंगुली की हानि हो	रुपये 5,500/- अनुमानित
2. श्रवण शक्ति की सम्पूर्ण हानि दोनों कानों की	रुपये 2,75,000/- अनुमानित
3. एक कान की पूर्ण श्रवण शक्ति की हानि	रुपये 82,500/- अनुमानित
4. एक हाथ की चारों अंगुलियों तथा अंगुठे की सम्पूर्ण हानि	रुपये 2,20,000/- अनुमानित
5. चार अंगुलियों की सम्पूर्ण हानि	रुपये 1,92,500/- अनुमानित
6. दोनों अंगुली (अस्थि) सम्पूर्ण हानि	रुपये 60,000/- अनुमानित
7. एक अंगुली (अस्थि) सम्पूर्ण हानि	रुपये 33,000/- अनुमानित
8. हाथ की छोटी अंगुली की हानि (अस्थि)	रुपये 22,000/- अनुमानित



6. प्रति विद्यार्थी दुर्घटना के फलस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने पर (24 घण्टे से अधिक होने पर) अधिकतम चिकित्सा व्यय रूपये 50,000/- अनुमानित
7. कम्पनी को एक दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम रूपये 75,00,000/- (पचहत्तर लाख) का दायित्व रहेगा।
8. अलग-अलग दुर्घटना में यह सीमा प्रभावी नहीं होगी।  
विश्वविद्यालय विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के आवरित विद्यार्थी के बारे में निम्नलिखित सूची प्रदान करेगा :-

- विद्यार्थी का नाम
- विद्यार्थी के पिताजी या संरक्षक का नाम
- विद्यार्थी की आयु
- विद्यार्थी का स्थायी/पत्राचार का पता
- विद्यार्थी के नामिनी का नाम व सम्बन्ध
- विद्यार्थी का एनरोलमेन्ट नम्बर/या प्रवेश नम्बर नियमित छात्र या छात्रा

प्रीमियम व अन्य शर्तें:

1. बीमा अधिनियम की धारा 6ए वी.वी. के अनुसार प्रीमियम अग्रिम जमा किया जायेगा इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की सम्भावित संख्या 28000 है जिसके अनुसार 23000 छात्रों की राशि का प्रीमियम अग्रिम प्रदान करेंगे तथा दिनांक 15/11/2020 तक जितने विद्यार्थियों का एनरोलमेन्ट/प्रवेश होगा उसकी सूची के अनुसार प्रीमियम का भुगतान कर दिया जायेगा। पॉलिसी जारी होने के पश्चात् नये विद्यार्थी के प्रवेश उस पॉलिसी में शामिल करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा। अतः अधिकतम विद्यार्थियों का अग्रिम प्रीमियम देकर बाद में समायोजन करना उपयुक्त है।
2. पॉलिसी अवधि एक वर्ष की होगी यानि प्रीमियम जमा होने के दिवस से प्रभावी होकर एक वर्ष (365 दिन) तक होगी।
3. पॉलिसी प्रारम्भ की तिथि के पश्चात् नये एनरोलमेन्ट/प्रवेश पाने वाले नियमित विद्यार्थियों को यह पॉलिसी का लाभ एनरोल/प्रवेश तिथि से लेकर केवल पॉलिसी की अन्तिम तिथि तक ही रहेगा।



### पालिसी की अपवर्जन:-

1. किसी प्रकार की पूर्व विद्यमान अशक्ता।
2. जान बूझकर स्वयं को चोट ग्रस्त करना, आत्म हत्या या आत्म हत्या का प्रयास।
3. नशीली शराब या ड्रग्स या ऐसे किसी अन्य पदार्थ के प्रभाव से होने से।
4. विद्यार्थी द्वारा आपराधिक प्रयोजन से कानून भंग किये जाने के फलस्वरूप।
5. युद्ध, गृह-युद्ध, आक्रमण, गदर आदि जैसे कारण से उत्पन्न चाहे युद्ध की घोषणा हो अथवा नहीं।
6. न्यूक्लीय शस्त्र सामग्री से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पन्न।

### दावा प्रक्रिया:-

#### 1. सड़क दुर्घटना से मृत्यु होने पर

1. दावा प्रपत्र
2. मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु होने पर
3. नोमिनी का शपथ पत्र
4. पोस्टमार्टम रिपोर्ट यदि लागू हो
5. एफ.आई.आर. रिपोर्ट यदि लागू हो
6. समाचार पत्र रिपोर्ट यदि लागू हो
7. अन्य कोई सबूत
8. चिकित्सा व्यय के मूल बिल और डॉक्टर की पर्ची एवं रिपोर्ट

#### 2. अशक्त की स्थिति में

1. दावा प्रपत्र
2. चिकित्सक का मूल प्रमाण-पत्र
3. अस्पताल में टिकिट, मेडिकल रिपोर्ट, चिकित्सा व्यय के मूल बिल रसीद
4. अन्य कोई दुर्घटना से सम्बन्धित आवश्यक कागजात जैसे एफ.आई.आर., समाचार पत्र में न्यूज
  - समस्त दावा प्रपत्र मूल पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।
  - दावा की सूचना दुर्घटना घटित होने के 45 दिवस में अनिवार्य रूप से बीमा कम्पनी को प्रेषित की जावेगी।





- आर्बीट्रेटर एक्ट, 1996 के द्वारा पूर्ण की जाएगी। न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
- दोनों आर्बीट्रेटर द्वारा नामित होगा जो मुख्य होगा व आर्बीट्रेटर प्रोसीसिंग एक-एक आर्बीट्रेटर दोनों पक्षों के द्वारा नामित होगा एवं तीसरा आर्बीट्रेटर उन बनती है तो विवाद 3 आर्बीट्रेटर के पैनेल द्वारा निश्चित किया जाएगा जिसमें द्वारा निर्णित किया जाएगा। यदि एक आर्बीट्रेटर पर दोनों पक्षों की सहमति नहीं विवाद एक सोल आर्बीट्रेटर जो कि दोनों पक्षों की सहमति से नियुक्त किया हो के एक माह (30 दिवस) में दावों का निस्तारण अनिवार्य रूप से करना होगा।
- समस्त प्रपन्नी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम कल्याण अधिष्ठाता के माध्यम से करेंगी।
- बीमा कम्पनी सभी प्रकार के दावों का भुगतान राजस्थान विधवाविहालय के छात्र यह एम.आर.यू. पॉलिटी तक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
- जायेगा।
- पॉलिटी तथा दावों का समस्त पत्र व्यवहार अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा किया
- कम्पनी दावा सम्बन्धित इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- जायेगा।
- अन्य प्रपन्नी एवं कानूनी प्राप्ति होने पर दावा निष्पादन अधिष्ठाता कर दिया

## अध्याय-3

### पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)

#### Terms and conditions for Students' Group Accidental Insurance Coverage Scheme:

1. Tender is invited for approximately 28 thousand regular students of University of Rajasthan, Jaipur at an estimated premium amount of Rs. 18,00,000/- + Taxes as applicable.
2. Final list of students will be given to the insurance company by 15<sup>th</sup> November 2020. Further if any other list will be provided after the above mentioned date, no penalty on the premium will be charged.
3. Only IRDAI approved insurance companies with valid registration can apply. Proposals received from Agents/brokers shall not be considered.
4. The scheme is for the regular students of constituent colleges & University Departments, University of Rajasthan, Jaipur including M-Phil Students and research scholars who have paid insurance premium for academic session 2020-21.
5. The last date for submission of duly completed Technical financial bids with fee and documents is Wednesday, 23 th September, 2020 by 12:00 noon.
6. The Tender documents downloaded form the [www.uniraj.ac.in](http://www.uniraj.ac.in), <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) E- Tender form fees payment of Rs. 500/- (five hundred only) in the favour Registrar, University of Rajasthan, Jaipur and processing fees Rs. 500/- (five hundred only) in the favour of MD, RISL, Jaipur (Demand Draft/ BC/BG) a hard copy is to be deposited in the Dean, Students' Welfare office, University of Rajasthan, Jaipur.
7. The Technical Bid will be opened on Wednesday, 23th September, 2020 by 2:00 P.M. in Vice-Chancellor's Secretariat, University of Rajasthan, Jaipur.
8. The Committee reserves all rights to accept or reject any tender.
9. The scheme will be effective from 25<sup>th</sup> September, 2020 to 24<sup>th</sup> September, 2021 (midnight).
10. The office of the concerning Insurance Company should be in Jaipur City.
11. There should be no written complaint of any Insurance Company received in the past by the University of Rajasthan, Jaipur.
12. The rates shall be abide as per RTPP Act, 2012 & RTPP Rules 2013.
13. The firm should not be black listed from Government of Rajasthan or other state governments or by union government.
14. The final decision regarding any dispute will be of the Vice-Chancellor, University of Rajasthan, Jaipur.
16. RIDAI regulation notification no.IRDA/38/GEN/Misc/2014-15 dated 20-03-2015 shall be applicable and participating insurance company neet not to deposit EMD/deposit money.

## अध्याय-4

### निविदा की विधि

यह निविदा द्विस्तरीय निविदा सिस्टम आधारित है जिसमें प्रथम स्तर तकनीकी निविदा है तथा द्वितीय स्तर वित्तीय निविदा है। निविदा की विधि निम्नानुसार है :

- 4.1 निविदा ऑनलाइन भरी जावेगी।
- 4.2 वित्तीय निविदा में केवल वित्तीय निविदा प्रपत्र (अध्याय 09 के अनुसार) होना चाहिये।
- 4.3 अपलोडेड तकनीकी तथा अन्य दस्तावेज का प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित तथा फर्म की मोहर लगा होना चाहिये। ऐसा कोई भी पृष्ठ जो अहस्ताक्षरित अथवा बिना फर्म की मोहर अथवा दोनों हो, निविदा का भाग नहीं माना जायेगा तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 निविदा एव संलग्न प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी (English) भाषा में होने चाहिये। अन्य भाषा में प्राप्त निविदा अथवा प्रपत्रों/दस्तावेजों को विचार हेतु अयोग्य माना जायेगा।
- 4.5 निविदादाता निविदा प्राप्त करने, भरने, विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने तथा स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के दौरान होने वाले समस्त खर्च स्वयं वहन करेगा। इस हेतु विभाग द्वारा कोई भी राशि देय नहीं होगी।
- 4.6 निविदादाता से यह अपेक्षित है कि उसे साइट, निविदा की शर्तों एवं अन्य समस्त स्थानीय कानूनों एवं परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होगा। ऐसा न होने पर होने वाले नुकसान और /अथवा अन्य प्रभाव के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग किसी प्रकार के दखल/क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरादायी नहीं होगा।
- 4.7 प्रकाशित निविदा में इंगित तकनीकी निविदा प्रस्तुत किये जाने के अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाएं विलम्बित निविदाएं मानी जायेंगी।
- 4.8 तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक हैं, अन्यथा तकनीकी पात्रता अयोग्य घोषित कर दी जायेगी –

Tender forms duly signed

IRDAI पंजीकरण की प्रति

GST रजिस्ट्रेशन नम्बर

कम्पनी का Authorisation Certificate (निजी क्षेत्र की कम्पनी की स्थिति में)

ब्लैकलिस्ट नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र।

पैन कार्ड की प्रति ( कम्पनी के नाम में ) पैन कार्ड नम्बर

कार्यअनुभव के संबंध में कार्यादेशों की प्रतिया ( 5.वर्ष का अनुभव आवश्यक है)।

टेंडर फॉर्म फीस का डिमांड ड्राफ्ट।

टेंडर प्रोसेसिंग फीस का डिमांड ड्राफ्ट।

## अध्याय-5

### अपात्रता

निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती हैं :

निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त हुई निविदाएं।

- 5.1 बिना निविदा मूल्य के जमा निविदाएं।
- 5.2 वित्तीय निविदा के प्रस्ताव तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना।
- 5.3 अपूर्ण निविदायें
- 5.4 भ्रामक अथवा गलत तथ्य/ दावे प्रस्तुत करने वाली निविदायें।
- 5.5 विश्वविद्यालय विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/तय समय से देरी करना।
- 5.6 एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।
- 5.7 अपूर्ण व सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।
- 5.8 तकनीकी अहर्ताओं का पूर्ण न कर पाना।
- 5.9 निविदादाताओं अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।
- 5.10 अल्प वैधता वाली निविदा प्रस्तुत करना।
- 5.11 फर्म राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड होना।



## अध्याय-6

### निविदा का मूल्यांकन

- 6 निविदा का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा :
- 6-1 तकनीकी निविदा, निविदा-सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय तक प्राप्त होने वाली समस्त निविदाएं कय समिति एवं फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी निविदा खोलने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय को खोली जायेंगी। उक्त तिथि/समय में परिवर्तन होने पर नवीन तिथि की सूचना प्रदान कर दी जायेगी।
- 6-2 तकनीकी निविदाएं खुलने के बाद इनको तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया जायेगा। आवश्यक समझने पर निविदादाताओं से उनके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा में प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रपत्र/दस्तावेज पर स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है जिसे निविदादाताओं को तय समय सीमा में विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। निविदादाताओं द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कय अधिकारी का होगा। निविदादाता स्पष्टीकरण के जवाब में कोई भी नवीन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसा करने पर नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
- 6-3 तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन के पश्चात देरी से आने वाली, अपूर्ण अथवा तकनीकी अर्हता पूर्ण नहीं करने वाली निविदाओं को अस्वीकार करते हुए उन की वित्तीय निविदाएं नहीं खोली जायेंगी।
- 6-4 गणितीय गलतियों का सुधार : वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई प्रीमियम राशि के आधार पर किया जायेगा। इस दौरान किसी प्रकार की गलती का सुधार RTTP Rules में वर्णित नियमों के तहत किया जायेगा।
- 6-5 गणितीय गलतियों के सुधार के पश्चात नियमानुकूल संशोधित दरों के आधार पर निविदाओं का आंकलन किया जायेगा।
- 6.6 प्राप्त दरों के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को कार्यादेश दिया जावेगा। निविदादाता द्वारा कार्यादेश को स्वीकार करने के साथ रु. 500/- अथवा तत्संबंधित समय पर प्रचलित कानून/नियमों के अनुसार राशि के स्टांप पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।





**अध्याय-7**  
**निर्णित हर्जाना**  
**( Liquidated Damages)**

निर्णित हर्जाना (Liquidated Damages) निम्नानुसार होंगे:-

- 7.1 हर्जाना आई.आर.डी.ए.आई. के नियमों के तहत होगा।
- 7.2 समस्त विवादों का क्षेत्राधिकार न्यायालय में जयपुर ही होगा।



## अध्याय-8

### तकनीकी निविदा प्रपत्र (Technical Bid Form)

#### “सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना”

(सत्र 2020-21 के लिए)

1. बीमा कम्पनी का नाम .....
2. आई.आर.डी.ए.आई. पंजीकरण संख्या/लाईसेन्स नम्बर (प्रति संलग्न करें) .....
3. स्थापना का वर्ष .....
4. पूर्ण पत्र व्यवहार का पता .....
- .....
5. जयपुर कार्यालय का पता .....
6. फोन नम्बर .....
7. ई-मेल आई.डी./वेबसाइट .....
8. जयपुर कार्यालय में सम्पर्क अधिकारी का नाम, पता, ई-मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर, दूरभाष नम्बर .....
- .....
- .....
9. कम्पनी द्वारा भारत के किसी भी विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान में दी गयी इसी प्रकार की सेवाओं का विवरण मय कार्य आदेश .....
- .....
- 10.

S. no.	Documents	Details	Page no.
I.	GST Registration		
II.	PAN Card NO.		
III.	Authorisation certificate (In case of private co.)		
IV.	Affidavit reg. not dec. blacklist		
V.	Tender form fee	DD No.	
VI.	Processing fee	DD No.	



## अध्याय -9

### वित्तीय निविदा

इस निविदा से सम्बन्धित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें मँने/हमने पढ़ ली हैं और यह प्रतिबन्ध एवं शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त संघटक महाविद्यालयों, शैक्षणिक विभागों/केन्द्रों के नियमित छात्र-छात्राओं, एम.फिल तथा शोध छात्रों के "सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना" की दरें निम्न प्रकार से निविदा प्रस्तुत है-

1. बिमित राशि दुर्घटना/दुर्घटना से मृत्यु होने पर होगी (मय सर्विस टेक्स)

#### बीमित राशि

क्र.सं.	शैक्षणिक सत्र	दुर्घटना होने पर राशि	दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि	प्रीमियम GST एवं अन्य कर सहित
1.	2017-18	40,000/-	5,50,000/-	11,20,000/-
2.	2018-19	45,000/-	6,00,000/-	15,40,000/-
3.	2019-20	45,000/-	6,00,000/-	23,12,800/-
4.	2020-21	50,000/-	6,50,000/-	

क्र.सं.		बीमा प्रीमियम राशि (GST व अन्य कर अतिरिक्त नियमानुसार) (बीमा इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा भरा जाय)
1.	बीमित राशि- दुर्घटना होने पर	
	50,000/-	
1.1	बीमित राशि- दुर्घटना से मृत्यु होने पर	
	6,50,000/-	
	कार्य का विवरण (सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित)	
2.	दुर्घटना के फलस्वरूप दोनों आंखों की दृष्टिहीनता या दोनों हाथों या दोनों पैर की पूर्ण उपयोग की हानि	
3.	दुर्घटना के फलस्वरूप एक आंख की दृष्टिहीनता या एक हाथ या एक पैर के पूर्ण उपयोग की हानि	
4.	दुर्घटना के फलस्वरूप उपरोक्त के अलावा होने वाली स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर (अर्थात छात्र उक्त अंगों के अलावा यदि दुर्घटनाग्रस्त होकर पूर्ण अपंगता प्राप्त करें।)	
5.	नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अंगों की हानि	

	के कारण स्थायी आंशिक अपंगता	
5.1	पैरों की अंगुलियों की सम्पूर्ण हानि	
•	बड़ी दोनों अंगुली अस्थि	
•	बड़ी एक अंगुली अस्थि	
•	बड़ी के अलावा यदि एक से अधिक पैर की अंगुली की हानि हो	
5.2	श्रवण शक्ति की सम्पूर्ण हानि दोनों कानों की	
5.3	एक कान की पूर्ण श्रवण शक्ति की हानि	
5.4	एक हाथ की चारों अंगुलियों तथा अंगुठे की सम्पूर्ण हानि	
5.5	चार अंगुलियों की सम्पूर्ण हानि	
5.6	दोनों अंगुली (अस्थि) सम्पूर्ण हानि	
5.7	एक अंगुली (अस्थि) सम्पूर्ण हानि	
5.8	हाथ की छोटी अंगुली की हानि (अस्थि)	
6	प्रति विद्यार्थी दुर्घटना के फलस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने पर (24 घण्टे से अधिक होने पर) अधिकतम चिकित्सा व्यय	
7.	प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रस्तावित अनुमानित समय	
8.	बीमा कम्पनी द्वारा बीमा धारक को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं/लाभों का विवरण	

### हस्ताक्षर निविदाता

नाम: .....

पूरा पता: .....

फोन नम्बर: .....

मोबाईल नम्बर: .....

E-mail: .....



**Annexure- 01****"Bio-Data of the Bidder"**

University of Rajasthan, Jaipur

**Ref.DSW/2020/****Jaipur, Dated .....**

1.	Name of the Insurance Company				
2.	Registered Office	Address			
		Telephone No.			
		Mobile No.			
		Fax No.			
		E-mail ID			
		Website			
3.	Name of the Promoters of the Company				
4.	Is the Company Registered with IRDAI(Yes/No)				
4.1	If Yes, Give details under what Act/Rules				
4.2	Registering Authority, with full address				
4.3	Registration Number				
4.4	Registration is valid up till date				
5.	Local (JAIPUR) Address of the Company/ Branch				
5.1	Contact Person(s) with full address and telephone & Mobiles numbers at JAIPUR				
	S.No.	Name	Qualification	Post	Telephone Nos. & Mobile Nos.
	1				
	2				
	3				

**"Bio-Data of the Bidder"**

University of Rajasthan, Jaipur

**Ref.DSW/2020/ Jaipur, Dated .....**

6.	Chartered Accountant audit of the Company for last three years done? (YES/NO)	
7.	PAN/TAN numbers of the Company	
8.	Is the company Registered under Sales Tax/Service Tax (YES/NO)	
8.1	If yes, please give registration number	
8.2	Please enclose the registration certificate (Please mentioned the enclosure number)	Annexure ___ at page ___
9.	Is the company ISO 9000 series certified? (YES/NO)	
9.1	If yes, provide a copy of the Certification (Please mentioned the enclosure number)	Annexure ___ at page ___
Signature of the Tenderer		
Name of Signatory		
Status/Post of the Signatory		
Name of the Company		
Date		



**Annexure-02****शपथ पत्र (फर्म के लेटर हेड पर)**

मैसर्स (बीमा कम्पनी का नाम एवं पता)  
है कि:-

शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करती

- 1 निविदा ..... दिनांक ..... में मेरे द्वारा दी गयी समस्त जानकारियाँ/दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी।
- 2 मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि बीमा कम्पनी केन्द्र/ राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा **Black Listed** नहीं की गयी है।

हस्ताक्षर

नाम:

पता:

बीमा कम्पनी का नाम:

बीमा कम्पनी का पूर्ण पता:



**कार्य अनुभव का विवरण**

विभाग/ संस्थान का नाम	राजकीय/ अर्द्धराजकीय/ प्राईवेट	अवधि : (कार्यादेश की प्रति मय प्रमाण पत्र) संलग्न करें	दिनांक व दिनांक तक	क्या वर्तमान में इस विभाग/संस्थान में कार्य किया जा रहा है। (हाँ/नहीं)